तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 21/2021 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2021/31)

अनवानः

संतोष देवी पत्नि कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी चक 19 एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. तेजपाल पुत्र पूराराम
2. श्रवण पुत्र पूराराम
3. पूराराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत 10 सरकारी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

16.05.2022

अभिभाषक अपीलांट श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री मदन सुरोलिया उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फार्म नं. 3 के संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली हो। अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान कथन किया कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। राजीनामे के अनुसार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स को नामान्तरकरण संख्या 373 के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजीनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 373 को बहाल करने के आदेश फरमावें।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2021 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2021 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 को नामान्तरकरण संख्या 373 के विरूद्ध कोई आपति नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधिनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर अपील में राजीनामा के मध्यनजर दोनो पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड एवं आदेश की प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर